प्रेषक,

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
जी0टी0 रोड, कानपुर।

सेवा में,

उप श्रम आयुक्त,
मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्र संख्या 2541-50 /एस0आर0सी0(बी0एल0)/2023–24 दिनांक 12/01/2024

विषय : **वित्तीय वर्ष 2023–24 में नवीन बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत अवमुक्त बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में शासनादेश संख्या 08/2023/708/003–01बी 2023, दिनांक 08 अगस्त, 2023 द्वारा बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना, 2016 के अन्तर्गत प्रदेश के बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु धनराशि रू0 2500.00 लाख (पच्चीस करोड़ मात्र) स्वीकृत किया गया है तथा पत्र में उक्त धनराशि व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल एवं फाईनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता हो, उनसे व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लिये जाने के निर्देश भी दिए गए है। साथ ही अन्य दिशा–निर्देश के साथ व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः उक्त धनराशि का उपभोग बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु किया जाएगा। इस हेतु व्यय अधोलिखित लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा, जिसका कोषागार से आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो निम्नवत् हैः–

लेखा शीर्षक :

अनुदान संख्या–76

2230	– श्रम, रोजगार और कौशल विकास
01	– श्रम
103	– सामान्य श्रम कल्याण
01	– केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
03	– बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना–2016 (के.100/रा0–के0)
42	– अन्य व्यय,

क्र0	जनपद का नाम	आहरण एवं वितरण अधिकारी	प्राप्त कराये गये पुनर्वासन पैकेज का सन्दर्भ	पुनर्वासन हेतु बंधुआ श्रमिकों की संख्या	धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
2.	मेरठ	उप श्रमायुक्त, मेरठ क्षेत्र मेरठ।	प.स.–11301/दि–25.09.2023 द्वारा 06 पैकेज, के0सं0 11012/001/20019–बी0एल0	06 (पु0–06, म0–0)	06.00
	योग			06	06.00

(रू0 छः लाख मात्र)

2– आपके क्षेत्रान्तर्गत पुनर्वासन योग्य बंधुआ श्रमिकों में जिन बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन पैकेज प्रेषित किए गये हों उन्हें नवीन बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना, 2021 में तथा समय–समय पर जारी संशोधनों में दी गयी व्यवस्थानुसार पुनर्वासित कराना सुनिश्चित करें।

3– ऐसे बंधुआ श्रमिक जो कि बंधुआ श्रम पुनर्वासन–2016 नवीन योजना के प्रारम्भ होने की दिनॉक–17 मई, 2016 अथवा उसके बाद अवमुक्त कराये गये हों उनका पुनर्वासन इस धनराशि से कराया जाये।

4– उक्त आवंटित धनराशि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी प्रतिपूर्ति की माँग इसी वित्तीय वर्ष में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार से की जानी है। अतः आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– उक्त आवंटित धनराशि का कोषागार से आहरण शासनादेश में निहित निर्देशों व वित्तीय नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।

6– बंधुआ श्रमिक पुनर्वासन की आवंटित धनराशि **रू0 06.00 लाख** का व्यय उपरोक्त वर्णित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जायेगा। आवंटित धनराशि को व्यय करने में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 02/2023/बी0–01–227/दस–2023–231/2023, दिनांक 17.03.2023 के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– आवंटित की गयी धनराशि का व्यय विवरण बी0एम0–04, पर प्रत्येक अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

8– उपरोक्त धनराशि इस शर्त के अधीन आवंटित की गयी है कि स्वीकृत व्यय को पूरा करने के लिए धनराशि का विनियोजन आय–व्ययक नियम संग्रह (बजट मैनुअल) से सम्बन्धित नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों द्वारा नियंत्रित होगी एवं आवंटित धनराशि का व्यय मितव्ययिता सम्बन्धी समय–समय पर जारी होने वाले शासनादेशों को ध्यान में रखकर किया जाय और आवंटित धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। उक्त के साथ ही धनराशि आवंटन की प्रत्याशा में कोई आहरण नहीं किया जायेगा। उपरोक्त आहरित की जाने वाली धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत उपयोग कर उसकी सूचना/उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

9– पुनर्वासित कराये जाने वाले बंधुआ श्रमिकों की उपलब्ध करायी गयी धनराशि की प्राप्ति व वितरण का पूर्ण विवरण प्रत्येक दशा में धनराशि प्राप्त होने के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10– पुनर्वासित कराए जाने वाले बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन कराते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि उक्त बंधुआ श्रमिक को पूर्व में तो पुनर्वासित नही कराया गया है। इस तथ्य की पुष्टि करने के पश्चात् ही बंधुआ श्रमिक को पुनर्वासित कराया जाय। प्रत्येक दशा में 'बंधुआ श्रम पुनर्वासन' योजनान्तर्गत बंधुआ श्रमिक का पुनर्वासन केवल एक बार ही होना है।

11– अवमुक्त प्रमाण पत्रों/पुनर्वासन पैकेजों में उल्लिखित बंधुआ श्रमिकों के नाम/पतों के अनुरूप ही बंधुआ श्रमिकों द्वारा खुलवाए गये बैंक खातों में उल्लिखित नाम/पतों का मिलान कराने के उपरान्त ही बैंक खातों में पुनर्वासन सम्बन्धी एकाउण्ट पेयी ट्रेजरी चैक/बैंक ड्राफ्ट की धनराशि को जमा कराना सुनिश्चित करें।

12– अवमुक्त कराए गये बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन पूर्व में ही काफी विलम्बित हो चुका है और प्रत्येक दशा में यथा शीघ्र इन बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित कराया जाना अपरिहार्य है, ताकि शासन/भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का समय से उपयोग हो सके और उपयोग न करने की दशा में समर्पण की स्थिति उत्पन्न न हो। अगर इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो कृपया तत्काल अपर श्रमायुक्त, बंधुआ श्रम, मुख्यालय से सम्पर्क करें।

भवदीय,

ह0
12.01.24.

(मार्कण्डेय शाही)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या 2541-50 /एस0आर0सी0(बी0एल0)/2023–24 दिनांक 12/01/2024

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– संबंधित जिलाधिकारी।

2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3– मुख्य कोषाधिकारी, ...को अवगत कराना है कि अपर/उप श्रमायुक्त, ... को आवंटित धनराशि रूपये...को सम्मिलित करते हुये आपके कोषागार में उक्त आहरण एवं वितरण अधिकारी के आयोजनागत पक्ष का प्रगामी योग रूपये...हो जायेगा।

4– अपर मुख्य सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–4, बापू भवन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या 08/2023/708/003–01 बी 2023, दिनांक 08 अगस्त, 2023 के कम में सूचनार्थ।

5– निदेशक कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

6– बजट अनुभाग (लेखा सामान्य), मुख्यालय, कानपुर।

7– अपर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, (बंधुआ श्रम) एवं अपर श्रमायुक्त, (नियोजन), मुख्यालय, कानपुर।

8– आवंटित धनराशि का अंकन वित्तीय वर्ष 2023–24 के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या.............पर कर लिया गया है। आवंटन आदेश संख्या–003-SRC BL 2023-24/2541-50 दिनॉक–12/01/2024 की सेन्ट्रल सर्वर से निकाली प्रति भी संलग्न है।

<u>संलग्नः–यथोक्त।</u>

(लक्ष्मी कान्त)
वित्त नियंत्रक (श्रम)।

श्रम आयुक्त - उ0 प्र0

आवंटन आदेश संख्या: 003-SRC BL 2023-24/2541-50
आवंटन तिथि: 12/01/2024
कोषागार: 04 - मेरठ
वित्तीय वर्ष: 2023-2024
अधिकारी / जनपद का संख्या: 4625 - अपर आयुक्त.बालश्रम प्रवर्तन - उप श्रमायुक्त
अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -
अनुदान संख्या: 76 - श्रम विभाग (श्रम कल्याण)
लेखाशीर्षक: 2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास
01 - श्रम
103 - सामान्य श्रम कल्याण
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
03 - बन्धुआ श्रम पुनर्वासन योजना, 2016 (के.100/रा.0-के.)

आयोजनेत्तर-मतदेय

कोषागार: मेरठ

(धनराशि रुपये में)

मानक मद	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	प्रगामी आवंटन
42 - अन्य व्यय	0	600000	600000
योग :	**0**	**600000**	**600000**

(लक्ष्मी कान्त)
वित्त नियंत्रक

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-12/01/2024

प्रेषण संख्या:- 2541-50
आवंटन आदेश संख्या:- 003-SRC BL 2023-24
अनुदान संख्या:- 76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
01 - श्रम
103 - सामान्य श्रम कल्याण
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
03 - बन्धुआ श्रम पुनर्वासन योजना, 2016 (के.100/रा.0-के.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4625-अपर आयुक्त.बालश्रम प्रवर्तन - उप श्रमायुक्त , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
	योग	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: लाख

(लक्ष्मी कान्त)
वित्त नियंत्रक

आवंटन आदेश संख्या: 003-SRC BL 2023-24

वित्तीय वर्ष: 2023-2024
आवंटन तिथि: 12/01/2024
(धनराशि रुपये में)

कोषागार का नाम	आवंटित धनराशि
04-मेरठ	600000
योग:	**600000** **(छह लाख)**

(लक्ष्मी कान्त)
वित्त नियंत्रक